तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 09/2025 बउनवान विलायती बनाम सरकार वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.06.2025	**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर** पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस. **आदेश** दिनांक 16.06.2025 उपस्थिति 1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री हाजीखान 2. रेस्पोडेंटस की तरफ से राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वादीनी मुस्लिम विधि से शासित है, वादीनी की वंशावली के अनुसार खैर मोहम्मद के दो पुत्र हुंए चनेशर व बचलखां है। चनेशर नि संतान फौत हुए तथ बचल खां की वादीनी/पुत्री है। स्व. खेर मोहम्मद का वक्त जागीर काल का एक खेत रकबा 115 बीघा का ग्राम कोठा पटवार मण्डल देवड़ा में आया है। जो समरी बंदोबस्त की समाप्ति के पश्चात पूर्व खेर मोहम्मद की लम्बी बीमारी से फौत होने के पश्चात विरासत में उसके पुत्री चनेंसर व बसलखां को उत्तराधिकारी में प्राप्त हुआ व दोनों भाई काबिज हुए तथा स्थायी बंदोबस्त के समय दोनों भाईयों ने मिल कर इस रकबा 115 बीघा की पैमाईश कराई परन्तु बंदोबस्त विभाग ने इस खेत का रकबा 35.08 बीघा का खसरा संख्या 138 कायम कर पर्चा लगान चनेसर की पत्नी मुसम्मात हदिमा के नाम जारी कर दिया। इस हदिमा के साथ वादीनी के पिता बचलखां के नाम का अंकन नहीं हुआ चनेसर व बचल दोनों सगे भाई थे। मुस्मान हदिमा व वादीनी के पिता का कब्जा मौके पर रकबा 115 बीघा पर था। भू प्रबन्ध विभाग से रकबा	

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

35.08 बीघा ही स्व. चनेसर की पत्नी के नाम दर्ज हुआ शेष रकबा पड़ौसी खसरा संख्या 139 में मिला दिया जिसका ज्ञान पर्चा लगान प्राप्ति के समय न तो मुस्मात हाकिमा को हुआ और न वादीनी के पिता बचल खां को हुआ वे मोके पर यथावत रकबा 115 बीघा पर काबिज रहे। अपीलांट ग्राम कोठा, तहसील फतेहगढ, जिला जैलसमेर के खेत खसरा संख्या 139 रकबा 21.6650 हैक्टेयर अर्थात 133.18 बीघा पर काबिज काश्त है। अपीलांट पेशे से काश्तकार पेशा शख्स है व अपनढ़ व कानून से अनभिज्ञ है। वर्तमान में अपीलांट को अन्देशा है कि ग्राम कोठा में विभिन्न ऊर्जा कंपनियों द्वारा जमीने आवंटित करवाई जा रही है। अतः जब तक अपीलांट/वादीनी के दावे का निस्तारण नहीं होता है तब तक अपीलांट के हिस्से की भूमि खसरा संख्या 139 रकबा 21.6650 हैक्टयर अर्थात 133.18 बीघा मौजा कोठा पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। भू प्रबन्ध विभाग वालों ने दौराने पैमाईश मौके पर पैमाईश की गयी थी और वक्त पैमाईश उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होते हुए भी गलत रूप से सिवायचक इन्द्राज कर दिया गया। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी में रद्दोबलद करने तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू हैं यदि रेस्पोडेंटस अपने उदेश्य में सफल हो जाते हैं तो अपीलांट की अपील का उदेश्य समाप्त हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कोई हक नियत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु रेस्पोडेंटस के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काश्त की गई जिसके आधार पर अपीलाधीन आराजी अपीलांट के कोई हक पैदा नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया प्रतीत होता है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कल्कटर फतेहगढ़ के राजस्व आवेदन संख्या 65/2024 बअनवान विलायती बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	08.11.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलास दिनांक 16.06.2025 को सुनाया गया। 16/6/2025 (नवनीत कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	